| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| | **वाद सं0–60 / 2023** | |
| 31.10.2023 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती चमेली देवी, उपमुखिया, पंचायत–हरप्रसाद, पो0–रामपुर, जिला–साहेबगंज अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज आयोग कार्यालय में अनुपस्थित। | |
| | आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज का एक पत्र उपलब्ध है जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित करने का आग्रह आयोग से किया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 निर्धारित करता है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश देता है कि शिकायतकर्त्ता श्रीमती चमेली देवी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के विरूद्ध की गई कार्रवाई एवं शिकायतकर्त्ता को जिस अवधि का अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, उस अवधि का अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण आयोग को समर्पित करें। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश देता है कि शिकायतकर्त्ता के पत्र में जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया है। उसके समाधान कर दिये जाने का प्रमाण भी आयोग के अभिलेख में अगली सुनवाई में प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई तक यदि आज के पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। | |
| | मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। | |
| | **(शबनम परवीन)**<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची। | |
| | **(हिमांशु शेखर चौधरी)**<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची। | |

G:\Rachana jsfc\Court order.docx13

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267